न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2021/52)

1. लाल सिंह पुत्र श्रीया, जाति अहीर, निवासी राईखेडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलान्टस

बनाम

1. प्रकाशो देवी पुत्री श्री वैलीराम, जाति जाट, उम्र करीब 75 साल, निवासी ग्राम मढां, तहसील तिजारा, जिला अलवर —

—असल रेस्पोडेन्ट

2. तिलकराज पुत्र धन्नो देवी,
3. दयावन्ती पुत्री धन्नो देवी,
4. चिम्मनलाल पुत्र धन्नो देवी,
5. लाज़वन्ती पुत्री धन्नो देवी,
6. पुष्पा देवी पुत्री धन्नो देवी,
7. रोशन लाल पुत्र धन्नो देवी,
8. मदनलाल पुत्र चुन्नी लाल
9. वचन लाल पुत्र चुन्नी लाल,
10. बलवीर पुत्र चुन्नी लाल ,
11. कैलाश पुत्री चुन्नी लाल
12. रानी पुत्री चुन्नी लाल, जाति जाट निवासी ग्राम मंढा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार साहब तिजारा, अलवर दिनांक 23.05.2018 जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 39/2017 बाबत इन्तकाल नं0 454 दिनांक 24.10.1986 वाके ग्राम मढां असल —रेस्पोडेन्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्सा बराबर—बराबर स्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये है जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है व अन्य दादरसी।

उपस्थित—

1. श्री विजय सिंह राठौड वकील अपीलान्ट
2. श्री महावीर प्रसाद कस्वा, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक —21.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार तिजारा (अलवर) के निर्णय दिनांक 23.05.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 08.03.2021 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री वैलीराम पुत्र श्री गुरन्ताराम, जाति जाट निवासी ग्राम मंढा, तहसील तिजारा का स्वर्गवास हो जाने पर इन्तकाल संख्या 454 दिनांक 24.10.1986 ग्राम पंचायत द्वारा उसके एक मात्र पुत्र चुन्नीलाल के नाम पर दर्ज व तस्दीक किया गया था। उक्त इन्तकाल के खिलाफ असल रेस्पोडेन्ट प्रकाशों देवी ने एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 11.04.2017 के तहत तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड करते हुये यह

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्देश दिया गया कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका दिया जाकर विवादित इन्तकाल का निस्तारण विधिवत तौर पर किया जावे। इस पर तहसीलदार तिजारा ने रिमाण्ड आदेश की पालना में अपने आदेश दिनांक 23.05.2018 के तहत विवादित इन्तकाल अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्से बराबर बराबर तस्दीक किये जाने का आदेश दिनांक 23.05.2018 पारित किये गये।

3. तहसीलदार तिजारा जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स लाल सिंह पुत्र श्रीया द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर दिनांक 23.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 24.10.1986 मुकाम गहन करने सर्वसम्मति से बैलीराम पुत्र गुरताराम जाट की विरासत का उसके पुत्र चुन्नी लाल पुत्र बेलीराम के हक में दर्ज व तस्दीक किया गया था। जिस इन्तकाल का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में चुन्नीलाल पुत्र बैलीराम को खातेदार दर्ज किया गया। जो बदस्तूर कायम रहा। चुन्नीलाल ने अपने कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 955 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा को दिनांक 26.06.1991 को छोटेलाल, जगराम, धर्मपाल, लालसिंह पुत्र श्रीया निवासी राईखेडा को विक्रय कर दी। जिसका इन्तकाल संख्या 628 दिनांक 05.08. 1998 को तहसीलदार, तिजारा द्वारा बहक खरीदारान स्वीकार किया गया। असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के न्यायालय में इन्तकाल संख्या 454 दिनांक 24.10.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसमें मात्र चुन्नीलाल व धन्नो के वारिसान को ही पक्षकार बनाया गया है। मिन अपीलान्टान को पक्षकार नही बनाया गया और वह अपील उपखण्ड अधिकारी, तिजारा द्वारा 11.04.2017 को स्वीकार कर रिमाण्ड कर दी गई। रिमाण्ड आदेश की पालना में दिनांक 23.05.2018 को तहसीलदार, तिजारा द्वारा बेलीराम के समस्त वारिसान के नाम इन्तकाल खोलने के आदेश दिये गये। तहत् न्यायालय द्वारा मिन अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया गया है और ना ही मिन अपीलान्ट खातेदार को की सुना गया। अपीलाधीन आदेश मिन अपीलान्ट गैर मौजूदगी मे बाला–बाला में पारित किया गया है। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को होने पर दिनांक 13.02.2021 को जानकारी हुई। इन्तकाल संख्या 454 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है। जिसमें मिन अपीलान्ट ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र 15.02.2021 को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् वकील साहिबान ने सलाह दी कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध अपील करनी चाहिए। तत्पश्चात् न्यायालय श्रीमान से तहसीलदार तिजारा के आदेश की नकल दिनांक 03.03.2021 को प्राप्त की । तत्पश्चात् यह अपील बिना किसी देरी न्यायालय श्रीमान में जानकारी के दिन से एवं वकील साहिबान के सलाह के आधार पर अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी दिनांक 23.08.2018 से अपील प्रस्तुत करने के दिन मुजरा दिये जाने से अपील अन्दरमियाद प्रस्तुत है। साथ दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। वैलीराम पुत्र गुरन्ताराम, जाति जाट, निवासी ग्राम मढां,तहसील तिजारा का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो गया था। जिसका इन्तकाल विरासत संख्या 454 दिनांक 24.10.1986 को उसके एक मात्र पुत्र चुन्नीलाल के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया था। कि उक्त इन्तकाल के खिलाफ एक अपील असल–रेस्पोडेन्ट प्रकाशो देवी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के यहां प्रस्तुत की। जिसका निर्णय दिनांक 11.07.2017 को किया जाकर अपील इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सबूत पेश कर इन्तकाल का निस्तारण विधिवत तौर पर किया जावे। इस पर तहसीलदार, तिजारा ने रिमाण्ड आदेश के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहत दिनांक 23.05.2018 को विवादित इन्तकाल संख्या 454 रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज व तस्दीक करने का आदेश दिया। मृतक वैलीराम का उसकी पुत्रियो के नाम बहिस्से बराबर इन्तकाल तस्दीक किये जाने के आदेश बेजा तौर पर सादिर फरमाया गया है क्योकि उक्त श्री वैलीराम का स्वर्गवास सन् 1984 में हो गया था। जिसका इन्तकाल विरासत ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.10.1986 को उसके एक मात्र पुत्र चुन्नीलाल के नाम सही प्रकार से दर्ज व तस्दीक किया गया। लेकिन तहत् न्यायालय ने गौर नही किया । उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 (2005 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित) में यह माना गया है कि सन् 2005 से पूर्व में किसी भी पिता की मृत्यु के कारण उनकी पुत्रियो को जायदाद में कोई हिस्सा नही होता है। इस सम्बन्ध में तहत् न्यायालय ने एक नजीर 2016 पार्ट-2 आर. एल.डब्ल्यू. सुप्रीम कोर्ट पेज 1337 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय में यह प्रतिपादित किया है कि सन् 2005 से पूर्व पिता की मृत्यु होने पर पिता की अचल सम्पतियो मे पुत्रियो का कोई अधिकार नही होता है। मृतक चुन्नीलाल पुत्र वैलीराम ने इन्तकाल विरासत तस्दीक किये जाने के बाद विभिन्न लोगो को अपने कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कर दिया और क्रेतागण को मौके पर कब्जा भी दे दिया था। आज भी मौके पर क्रेतागण का कब्जा है। मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नं0 955 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26.06.1991 को खरीद की गई । जिस बयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 628 दिनांक 05.08.1991 को बभाईयों मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया। उपरोक्त आराजी मिन अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई छोटेलाल, जगमाल, धर्मपाल द्वारा 31,500/- रूपये मे खरीद की गई थी और कब्जा भी मौके पर चुन्नीलाल द्वारा खरीदारान को सम्भला दिया गया था। मिन अपीलान्ट ने जमाबन्दी को देखकर आराजी मुतनाजा खरीद की थी । मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के भाईयो द्वारा उक्त आराजी खरीद करने के पश्चात् हमारी समस्त कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी का विभाजन तहसीलदार, तिजारा द्वारा दिनांक 12.06.2006 को कर लिया और जिस विभाजन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग-अलग खाते कायम किये जा चुके है। विवादित खरीदशुदा आराजी खसरा नं0 955 रकबा 33 एयर मिन अपीलान्ट के कब्जे व हिस्से में आई है । जिस पर मिन अपीलान्ट आज भी मौके पर काबिज है और जिस बंटवारेनामे का इन्तकाल संख्या 1212 दिनांक 27.07.2006 को दर्ज व तस्दीक किया गया है। यह है कि मिन अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहां असल-रेस्पोडेन्ट और 2 लगायत 7 तरतीबी - रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिस वाद ने उपरोक्त रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रस्तुत कर कन्टेस्ट किया । दावा व जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम की गई और दोनो पक्षो की बहस सुनकर दिनांक 16.12.2019 को मिन अपीलान्ट को आराजी खसरा नं० 1955 रकबा 33 एयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। इस प्रकार भी विद्वान तहत् न्यायालय का निर्णय आराजी खसरा नं0 955 तक निरस्त किये जाने योग्य था लेकिन तहत् न्यायालय ने गौर नही किया। इन्तकाल संख्या 454 के विरूद्ध असल-रेस्पोडेन्ट द्वारा 23 साल बाद उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के यहां अपील दायर की। जिसका कोई युक्तियुक्त कारण भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा दर्ज नही किया गया । असल-रेस्पोडेन्ट द्वारा तहत् न्यायालय के निर्णय का नाजायाज लाभ प्राप्त कर मिन अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी पर कब्जा करने व खुर्द बुर्द करने की जूस्तजू में है । अतः वह अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गए तो मिन अपीलान्ट को काफी हानि होगी । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तिजारा जिला अलवर दिनांक 23.05.2018 निरस्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि श्री वैलीराम पुत्र श्री गुरन्ताराम, जाति जाट निवासी ग्राम मंढा, तहसील तिजारा का स्वर्गवास हो जाने पर इन्तकाल संख्या 454 ग्राम पंचायत द्वारा उसके एक मात्र पुत्र चुन्नीलाल के नाम पर दर्ज व तस्दीक किया गया था। उक्त इन्तकाल के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खिलाफ असल रेस्पोडेन्ट प्रकाशों देवी ने एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 11.04.2017 के तहत तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड करते हुये यह निर्देश दिया गया कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका दिया जाकर विवादित इन्तकाल का निस्तारण विधिवत तौर पर किया जावे। पटवारी हल्का से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मंढा के नामान्तकरण सं0 454 मृतक बेलीराम के वारिसानों चुन्नीलाल पुत्र व धन्नोंदेवी, प्रकाशों देवी पुत्रीयान बेलीराम के नाम तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। इन्तकाल अकेले चुन्नीलाल पुत्र बेलीराम जाट सा० मंढा के नाम विरासत का सर्व सम्मती से स्वीकार किया गया है मृतक के वारिसानों को जांच हेतु वाके ग्राम मंढा मजमें आम पहुंच कर जांच की गई मृतक बेलीराम पुत्र गुरता के वारिसानों में चुन्नीलाल पुत्र मृतक जिसके वरिसान मदनलाल, बचनलाल, बलवीर पुत्रान व कैलाश, रानी पुत्रीयान चुन्नीलाल, शीला देवी पत्नि चुन्नीलाल पूर्व में फौत होना बताया गया । धन्नो देवी (मृतक पुत्री) प्रकाशों देवी पुत्री कुल तीन वारिस बताये गये। इनमें चुन्नीलाल मृतक पुत्र, धन्नोदेवी मृतक पुत्री पाये गये। प्रकाशों देवी हाल में जीवित है। इन वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि बेलीराम जाट निवासी मंढा थे जिसका देहान्त हो गया और मृतक बेलीराम की विरासत का नामा० सं0 454 वाके ग्राम मंढा पटवारी हल्का द्वारा नियमानुसार जांच कर उसे असल वारिसान रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट तीनों बहन भाईयों के हक में दर्ज कर दिया तथा इन्तकाल वास्ते स्वीकृति ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य इन्तकाल को असल रेस्पोडेन्ट से साजबाज होकर तन्हा उसके हक में स्वीकार किया। मृतक बेलीराम के प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी दोनों पुत्रीयां वारिसान है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक पिता की विरासत बहन भाईयों को बहिस्सा बराबर प्राप्त होती है। अतः नामान्तकरण सं0 454 ग्राम मंढा बेलीराम की विरासत में हमारा नाम सम्मिलित किया जावें । अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा अपील में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी मृतक बेलीराम की विधिक वारिस है तथा उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–6 (2005 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित) का हवाला देते हुए निवेदन किया कि 9 दिसम्बर 2005 को जीवित सह दायिको की जीवित पुत्रीयों पर संशोधन के तहत अपने माता/पिता की सम्पत्ति में अधिकार है, इससे पूर्व नही। जबकि बेलीराम मृतक का देहान्त 2005 से काफी पूर्व हो चुका हैं। उन्होने अपने कथन की पुष्टि में बपजंजपवद, 2016 (2) तर्रू, 1337 मा0 उच्चतम न्यायालय पेश की तथा प्रकरण खारिज करने हेतु निवेदन किया । तहसीलदार तिजारा ने र्ष पर पहुचंते है कि मा० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.17 अपील संख्या 11 / 2009 अनुवान प्रकाशों देवी बनाम चुन्नीलाल में अधिनस्थ ग्राम पंचायत गहनकर द्वारा नामा० सं0 454 वाके ग्राम मंढा पर पारित आदेश दिनांक 24.10.86 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को रिमान्ड किया गया है कि मा० उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.10. 15 को निर्णित सिविल अपील सं0 7217 उनवान प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती को दृष्टिगत रखते हुए मृतक बेलीराम के विधिक वरिसान की जांच कर पुनः नामा० निर्णित करें। तहसीलदार तिजारा ने रिमाण्ड आदेश की पालना में अपने आदेश दिनांक 23.05.2018 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में पुत्रीयों का पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार है। एंव रिपोर्ट पटवारी हल्का मुताबिक मृतक बेलीराम पुत्र गुरता के अपीलान्ट, रेस्पोन्डेन्ट तरतीबी रेस्पोडेन्ट जायज वारिस है । अतः आदेश है कि विरासत नामान्तकरण संख्या 454 वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा अपीलान्ट व असल रेस्पोन्डेन्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बाहिस्सा बराबर विरासत नामान्तकरण स्वीकार किये जाने आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार तिजारा जिला अलवर ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद मृतक बेलीराम पुत्र गुरता की विरासत को लेकर है। बेलीराम का देहान्त हो जाने पर ग्राम मंढा के नामान्तकरण संख्या 454 मृतक बेलीराम के वारिसानों चुन्नीलाल पुत्र व धन्नों देवी, प्रकाशों देवी पुत्रीयान बेलीराम के नाम तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत गहनकर द्वारा इन्तकाल अकेले चुन्नीलाल पुत्र बेलीराम जाट सा0 मंढा के नाम विरासत का सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी बेलीराम की खातेदारी की भूमि थी। विवादित भूमि का बेलीराम निर्विवाद खातेदार था तथा रामप्रताप की मृत्यु के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण मृतक बेलीराम के पुत्र चुन्नीलाल के नाम ही खोला गया। मृतक बेलीराम के वारिसानों में चुन्नीलाल पुत्र व धन्नों देवी, प्रकाशों देवी पुत्रीयान बेलीराम थी। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादित भूमि बेलीराम की पैतृक भूमि थी। इस संबंध मे हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादित भूमि बेलीराम के विधिक वारिसान चुन्नीलाल पुत्र व धन्नो देवी, व प्रका ाो देवी पुत्रीयान बेलीराम के नाम बाहिस्सा बराबर विरासत नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिये। जहॉ तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने का प्रश्न है इस संबंध में यह स्वीकृत स्थिति है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में पुत्रीयों का पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>अतः आदेश है कि</u>: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर का निर्णय दिनांक 23.05.2018 यथावत रखा जाता है।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर
संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त जयपुर